

**कार्यालय प्राचार्य : भिलाई इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, दुर्ग**  
**अति महत्वपूर्ण अधिसूचना**

कंमाक: बी.आई.टी./2020/

दिनांक: 26.10.2020

**SC/ST/OBC SCHOLARSHIP (2020-21)**  
**नवीन / नवीनीकरण { FRESH / RENEWAL }**

बी.टेक., बी.टेक. [लेटरल एंटी-तृतीय सेमेस्टर], एम.बी.ए., बी.वॉक, एम.सी.ए. एवं एम.टेक [नियमित] में अध्ययनरत विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के इच्छुक/योग्य है, वे नीचे दिए गये वेबसाइट पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर उसके आवेदन की ऑनलाईनकापी प्रिंट कर उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर **छात्र विभाग** में **30.11.2020** के पूर्व आवश्यक रूप से जमा करे। अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

Scholarship Website: <http://mpsc.mp.nic.in/cgpmis/>

For any query: 917186-2222 Email: scholarship@bitdurg.ac.in

**आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाणपत्र इसी क्रम पर हो।**

1.	हस्ताक्षरित ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म {नवीनतम पासपोर्ट साईज कलर फोटोग्राफ के साथ}
2.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र की मूलप्रति। [वित्तीय वर्ष 2019-20 का जारी किया हुआ]
3.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति। [केवल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी]
4.	छत्तीसगढ़ मूल निवासी [DOMICILE] प्रमाण-पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
5.	कक्षा दसवीं की अंकसूची की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
6.	कक्षा बारहवीं की अंकसूची की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
7.	स्नातक में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए GRADUATION के पिछले वर्ष उत्तीर्ण अंतिम वर्ष की अंकसूची स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
8.	स्नातकोत्तर में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए POST GRADUATION के पिछले वर्ष उत्तीर्ण अंतिम वर्ष की सभी अंकसूची की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
9.	वर्तमान में जमा की गई फीस की रसीद की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
10.	बैंक पासबुक [विद्यार्थी के स्वयं के नाम की] की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
11.	आधारकार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
12.	आधारकार्ड संख्या बैंक खाते से लिंक होने का प्रमाण पत्र। [केवल नवीन आवेदन/प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए]
13.	गैप सर्टिफिकेट [यदि गैप हो तो-केवल प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए]
14.	नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में जाति एवं आय का प्रमाणीकरण की मूलप्रति।

**★ महत्वपूर्ण बिन्दु ★**

- आवेदन केवल वे ही विद्यार्थी करे जिनके पालक की आय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,00,000 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 2,50,000 तक हो।
- पूर्व में अध्ययनरत एवं आवेदन किये हुए विद्यार्थी, जिन्होंने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया था वे नवीनीकरण RENEWAL के माध्यम से ही आवेदन करेंगे। उक्त विद्यार्थी नवीन FRESH आवेदन करने पर उनका फार्म REJECT हो जावेगा।
- किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु छात्र विभाग / डॉ. समित तिवारी - प्रो. इंचारज [छात्रवृत्ति समिति] / डॉ.जी.पी.पाण्डेय - सदस्य [छात्रवृत्ति समिति] से संपर्क किया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार की असत्य एवं मिथ्या जानकारी के पाए जाने पर होने वाली कार्यवाही के लिए विद्यार्थी एवं पालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
{ डॉ.अरुण अरोरा }  
प्राचार्य

प्रतिलिपि:

- सभी विभागाध्यक्ष - आवश्यक रूप से सूचना पटल में चस्या एवं छात्रों की जानकारी कराने हेतु।